

रोग की रोकथाम और नियंत्रण (समूह सभा पर निषेध) विनियमन (Cap. 599G)

रोग की रोकथाम और नियंत्रण (मास्क पहनना) विनियमन (Cap. 599I)

रोग की रोकथाम और नियंत्रण (कुछ व्यक्तियों के लिए अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (कैपा 599J)

संशोधित पेनल्टी क्लॉज

रोग की रोकथाम और नियंत्रण (समूह सभा पर निषेध) विनियमन (Cap. 599G)

1. कोई भी व्यक्ति जो एक निषिद्ध समूह सभा में भाग लेता है वह अपराध करता है। व्यक्ति जो निषिद्ध समूह की सभा में भाग लेता है एक निश्चित दंड का भुगतान करके अपराध के लिए दायित्व का निर्वहन कर सकता है, जिसका स्तर \$ 2,000 से बढ़ाकर \$ 5,000 कर दिया गया है।

रोग की रोकथाम और नियंत्रण (मास्क पहनना) विनियमन (Cap. 599I)

2. कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक परिवहन वाहक में प्रवेश या सवारी करते समय, MTR (एमटीआर) भुगतान क्षेत्र में प्रवेश या उसमें उपस्थित होने पर, किसी निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थान में प्रवेश या उसमें उपस्थित होने पर मास्क पहनने में विफल रहता है (खाद्य और स्वास्थ्य सचिव द्वारा विनिर्देश के अनुसार, वर्तमान में निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों में सभी सार्वजनिक स्थान शामिल हैं, कन्ट्री पार्क अध्यादेश (Cap. 208) की धारा में परिभाषित कन्ट्री पार्कों और विशेष क्षेत्रों में आउटडोर सार्वजनिक स्थानों को छोड़कर) अपराध करता है। सजा पर अधिकतम जुर्माना स्तर 2(\$ 5,000) से बढ़ाकर स्तर 3 (\$ 10,000) कर दिया गया है। अपराध के लिए देयता के निर्वहन के लिए निश्चित दंड \$ 2,000 से बढ़ाकर \$ 5,000 कर दिया गया है।

3. यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार मास्क नहीं पहनता है, तो एक अधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को सार्वजनिक परिवहन वाहक में चढ़ने या संबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सकता है, साथ ही उस व्यक्ति को मास्क पहनने व वाहक से उतरने या उक्त क्षेत्र को छोड़ने की आवश्यकता होगी। वाहक से उतरने या क्षेत्र छोड़ने की आवश्यकता का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपराध करता है। सजा पर अधिकतम जुर्माना स्तर 2 (\$ 5,000) से बढ़ाकर स्तर 3 (\$ 10,000) कर दिया गया है।

रोग की रोकथाम और रोग नियंत्रण (कुछ व्यक्तियों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग) विनियमन (Cap.

599J)

4. कोई भी व्यक्ति जो अनिवार्य टेस्टिंग निर्देश या अनिवार्य टेस्टिंग नोटिस की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, वह अपराध करता है। सजा पर अधिकतम जुर्माना स्तर 1 (\$ 2,000) से बढ़ाकर स्तर 3 (\$ 10,000) कर दिया गया है। अपराध के लिए देयता के निर्वहन के लिए निश्चित दंड \$ 2,000 से बढ़ाकर \$ 5,000 कर दिया गया है।